



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) परीक्षा, 2016 के प्रमाण पत्रों में त्रुटि
निराकरण एवं प्रमाण पत्र के वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 45/2016

एतद् द्वारा मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) परीक्षा, 2016 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं मदरसा के प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि

- (1) मदरसा परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आब्रजन प्रमाण पत्र एवं क्रॉस लिस्ट परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 26.08.2016 से वितरित किए जायेंगे। संबंधित मदरसा के प्रधान मौलवी से अनुरोध है कि वे स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से ससमय उक्त सामग्री प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) मदरसा परीक्षा, 2016 के जिन छात्र/छात्राओं के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) दिनांक 20.09.2016 तक संबंधित मदरसा में निःशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधान मौलवी सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 27.09.2016 तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- (3) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Witheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित मदरसा के प्रधान मौलवी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 27.09.2016 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि मदरसा परीक्षा-2016 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए मदरसा प्रधान मौलवी के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि “**वे संतुष्ट हैं कि स्क्रूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है**” अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर दिनांक 27.09.2016 तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे। प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास) रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट “झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड” के नाम से देय एवं राँची में भुगतये, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए “झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड” के नाम से देय एवं दुमका में भुगतये तथा पलामू प्रमण्डल के लिए “झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड” के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतये होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकान्त वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11/SECY/296/16

Dt. 22.08.2016

D.O.P. 23.08.2016